

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

पत्रांक: एफ.7 (316)सीएसएस/योजना/आरकेवीवाई/आ.कृ./ ५८५८-५९०८

दिनांक ५/९/१७


समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड
समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद
समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
परियोजना निदेशक सीएडी, कोटा।
परियोजना निदेशक (शस्य), सीएडी, नान्ता फार्म कोटा।
उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिक्षेवि, इन्दिरा गाधी नहर परियोजना, बीकानेर।

विषय :- कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाओं के संबंध में।

प्रसंग:- 7(412) सीएसएस/योजना/आरकेवीवाई/प्रशा.व्यय/2016-17/208-59 दिनांक 13.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा एक-एक Computer with trained personnel (machine with man) संविदा पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 2017-18 में आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों में Computer with trained personnel (machine with man) की सेवाएँ संविदा पर लिये जाने के संबंध में पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाई गई थी, किन्तु वित्त विभाग ने अपनी आई डी संख्या 101704333 दिनांक 24.08.2017 के द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा पर रखने की स्वीकृति नहीं दी है।


अतः वर्ष 2017-18 के लिये Computer with trained personnel (machine with man) सेवामें नहीं रखा जावे।


(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

पत्रांक: एफ.7 (316)सीएसएस/योजना/आरकेवीवाई/आ.कृ./ ५८५८-५९०८ दिनांक ५/९/१७
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, निदेशक कृषि, पंत कृषि भवन, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार कृषि, आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना), पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. आरक्षी पत्रावली।


(केदार नाथ शर्मा)
प्रशासनिक अधिकारी